

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठारीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आयुक्त

मुकदमा नं० 158/2024

राजेंद्रकुमार पुत्र हीशलाल जाति ब्राह्मण निवासी मिश्री का मोहल्ला जोबनेर
तह० जोबनेर हाल नि० 191, चांदविहाड़ी नगर, खालीपुरा, जयपुर जिल० जयपुर।
वादी

यनाम

राजस्थान सरकार जारिमे-तहरीलदार तहरील जोबनेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

ताद बाबत घोषणा खातेदारी नाम दुरुस्ती

अंतर्गत धारा 88 रा०डी०ए०

- उपस्थित :- 1. श्री रामावतार सिंह अधिवक्ता वादी
2. सरकार पैरोकार

दिनांक :- 21/05/2024

निर्णय

वादी द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदार एवं दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया गया है कि अंतिम चौसाला आधार संवत् 2076-2079 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता नं० नया 236 पुराना 207 की आराजी ख०न० 2090 रकबा 0.7208 है० किरम बाराणी-1 कुल खसारे एक कुल रकबा 0.7208 है० वाके ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा भू०अभि०नि०क्षेत्र कालख तहरील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है जिराकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता नं० नया 263 पुराना 243 में वर्णित आराजी ख०न० 1705 रकबा 2.4405 है० किरम बाराणी-1 कुल खसारे 1 रकबा 2.4405 है० वाके ग्राम माच्छरखानी पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर भू०अभि०नि०क्षेत्र जोबनेर तहरील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है जिराकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


खाता नं० नया 236 पुराना 207 की आराजी ख०न० 2090 रकबा 0.7208 है० किरम बाराणी-1 वाके डेहरा एवं खाता नं० नया 263 पुराना 243 में वर्णित आराजी ख०न० 1705 रकबा 2.4405 है० किरम बाराणी-1 कुल खसारे 1 रकबा 2.4405 है० वाके ग्राम माच्छरखानी पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर में स्थित है जो पक्षकारान की पुश्तेनी आराजीयात है, दोनो खातो की आराजीयात में वादी 1/3 हिस्से का एवं रामस्वरूप पुत्र रामनारायण 1/3 हिस्से के एवं ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 1/3 हिस्से के रिकोर्डेड संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं काबिल काश्त चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वादी रामनारायण पुत्र बालाबक्स का पोत्र है। वादी के पिता को वचपन में भंवरया-भंवरलाल नामों से पुकारा जाता था किन्तु नामकरण के समय हीरालाल नाम रखा गया जिसके अनुसार वादी के पिता को भंवरया-भंवरलाल हीरालाल तीनों नामों से पुकारा जाता रहा नामकरण के समय हीरालाल नाम रखा जाने से वादी को स्कूल में भर्ती कराते समय राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल दर्ज कराया गया उसके बाद लगातार सम्पूर्ण शिक्षा रिकार्ड, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड, सम्पत्ति के नगरपालिका रिकार्ड में एवं राशन कार्ड में हीरालाल के परिवार में राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल नाम दर्ज चला आ रहा है। वादी के पिता हीरालाल का दोराने ईलाज सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में दिनांक 25 फरवरी 1959 का स्वर्गवास हो चुका था जिसको दाह संस्कार हेतु डेड बोडी (लाश) मूल निवास स्थान जोबनेर लाई गयी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका जोबनेर के क्षरा क्रमांक 222/58-59 दिनांक 12/3/59 को जारी किया जिसमें हीरालाल पुत्र रामनारायण अंकित है जिससे स्पष्ट है कि वादी हीरालाल पुत्र रामनारायण का ही जायंदा पुत्र है वादी के पिता का वास्तविक नाम हीरालाल ही था।

रामनारायण पुत्र बालाबक्स की छोड़ी हुयी आराजी का फोती में समय राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल की बजाय वादी के बोलता नाम भंवरया-भंवरलाल पुकारने के कारण राजेन्द्रकुमार पुत्र भंवरलाल दर्ज कर दिया गया परन्तु वादी के सभी सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, राशनकार्ड, सर्विसरेकार्ड, शिक्षा रिकार्ड, आदि में राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल दर्ज होने से विवादग्रस्त आराजी में वादी के दर्ज 1/3 हिस्से के संबंध में मिलने वाली सुविधाओं एवं विकास आदि में व्यवधान होता है एवं परेशानी होती है अतः उक्त खातो की आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल दर्ज है के स्थान पर राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल दुरुस्त किया जाकर वादी राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है वादी ने इस संबंध में दिनांक 18/11/2024 को पटवारी हल्का एवं तहसीलदारजी तहसील जोबनेर से सर्मर्क किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में दुरुस्ती इन्द्राज कराकर अपने 1/3 की घोषणा कराने की हिदायत दी अतः यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरुस्ती इन्द्राजह विरुद्ध प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि आराजी खाता नया 236 पुराना 207 की आराजी ख0न0 2090 रकबा 0.7208 है0 किस्म बारानी-1 कुल खसरे 1 कुल रकबा 0.7208 है0 वाके ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तहसील जोबनेर एवं खाता नं0


उपस्थित अधिकारी
जोबनेर, जयपुर


नया 263 पुराना 243 में वर्णित आराजी ख0न0 1705 रकबा 2.4405 है0 किरम बाराजी-1 कुल खरारे 1 रकबा 2.4405 है0 वाके ग्राम माच्छरखाणी पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में गोजूदा दोनो खातो के राजस्व रेकार्ड में दर्ज राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल के दर्ज 1/3 हिस्से की बजाय वादी राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरुरती इन्द्राज किये जाने की डिक्री सादिर फरमायी जायें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी जरिए रजि0 एडी0 की गयी। प्रतिवादी द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि जमाबंदी संवत 2076-2079 खाता सं0 236 के ख0न0 2090 रकबा 0.7208 है0 भूमि खातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल हि0 1/3 जाति ब्राहमण वगै0 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि खातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल को तत्कालिन राजस्व ग्राम जोबनेर के नामां0 सं0 190 (विरासत) द्वारा प्राप्त हुयी थी। जिसमें भी राजेन्द्र कुमार के पिता का नाम भंवरलाल ही दर्शाया गया है। राजेन्द्र कुमार के पिता का नाम भंवरलाल ग्रामजनो व परिवारजनों द्वारा आम बोलचाल की भाषा में बोला जाने वाला नाम था उसको ही नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया। परन्तु राजेन्द्र कुमार द्वारा उपलब्ध करवाये गये पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड व हीरालाल का डेथ सर्टिफिकेट में नाम भंवरलाल ही होकर हीरालाल है।

अतः राजेन्द्र कुमार द्वारा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध करवाये गये पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, फाईनेंस आडी के आधार पर राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल की बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल शुद्ध किया जाना उचित होगा।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। तथा वादी का वाद मुताबिक वादपत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी ख0न0 1705 रकबा 2.4405 है0 ग्राम डेहरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। जिसमें वादी का नाम राजेन्द्रकुमार पुत्र भंवरलाल दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी को


उपस्थित अधिकारी
जोबनेर जयपुर